

प्लॉक- 1565/1 सी भवन

प्रमाण-पत्र

दिनांक - 20.12.2013

प्रमाणित किया जाता है कि दयाराम वर्मा महाविद्यालय, पीठापुर, कुड़िया चितौना, अम्बेडकरनगर(बी०एड० पाठ्यक्रम हेतु) के भवन निर्माण में नेशनल बिल्डिंग कोड अधिनियम-2005 के सामान्य नियमों का सन्तोषजनक रूप से पालन किया गया है।

20/12/2013

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०,
अम्बेडकरनगर

21/12/2013

प्रबन्धक
दयाराम वर्मा महाविद्यालय
पीठापुर, कुड़िया चितौना
कटेहरी, अम्बेडकर नगर

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी फैजाबाद

पत्रांक- आई-7/FS/2013 (विद्यालय)

दिनांक :- 11-12-2013

सेवा में,

निदेशक,

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जयपुर ।

विषय :- मा0 न्यायालय में योजित जनहित याचिका संख्या 483/2004 अवनीश मेहरोत्रा बनाम यूनिजन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 13/04/2009 के अनुपालन में स्कूलों/कालेजों में अग्निशमन सुरक्षा की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था प्रमाण-पत्र का निर्गत किया जाना।

सन्दर्भ:- आवेदक दयाराम वर्मा महाविद्यालय पीठापुर, कुड़िया, चितौना
अम्बेडकर नगर का प्रार्थना पत्र दि० ५-12-2013

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विद्यालय/कालेज का अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी अम्बेडकर नगर श्री महेन्द्र लिवारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। इनकी निरीक्षण आख्या दिनांक 10-12-13 के अनुसार विद्यालय/कालेज की भूमि भवन एवं उपलब्ध अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएं निम्नवत पायी गयी-

(क) ढाँचागत व्यवस्थाएँ-

1. विद्यालय/कालेज का कुल प्लॉट एरिया 2530 वर्ग मी० है।
2. भूतल कवर्ड एरिया 878 वर्ग मी० एवं कमरों की संख्या 12 है।
3. प्रथम तल कवर्ड एरिया 878 वर्ग मी० एवं कमरों की संख्या 13 है।
4. द्वितीय तल कवर्ड एरिया 4 वर्ग मी० एवं कमरों की संख्या 4 है।
5. विद्यालय/कालेज तक पहुँच मार्ग मोटरेबुल है। भवन 2005 के पूर्व/बाद का बना है।
6. नियमानुसार/आवश्यकतानुसार सेट बैंक है।
7. विद्यालय परिसर/भवन के ऊपर से हाईटेंशन विद्युत लाइन नहीं गई है।


(ख) उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्थाएँ-

1. नियमानुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था (सिस्टम/उपकरण) कार्यशील दशा में पायी गयी। शिक्षकों/कर्मचारियों को उपकरणों के चलाने की जानकारी दी गयी। 05271-244444
2. आपातकालीन टेलीफोन न० 101, 100 तथा 05270-224233 के पट्टिका पर अंकित करने व विद्यालय में जहरीले/अति ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ नहीं रखने हेतु निदेशित किया जाता है।

अतः आवेदक को इस शर्त पर अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रत्येक वर्ष अग्निशमन यंत्रों का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर विहित फीस राजकीय कोष में जमा कराकर अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र व उपकरणों का नवीनीकरण कराया जाना अति आवश्यक होगा। अग्निशमन उपकरणों को अकार्यशील दशा में पाये जाने पर यह प्रपत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।


 11-12-13
 (महानिरीक्षक) अम्बेडकर नगर
 मुख्य अग्निशमन अधिकारी
 मुख्य अग्निशमन अधिकारी
 फैजाबाद

- प्रतिलिपि: (1) प्रबन्धक/प्राधानाचार्य दयाराम वर्मा महाविद्यालय पीठापुर, कुड़िया, चितौना
अम्बेडकर नगर को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।
- (2) अग्निशमन अधिकारी अम्बेडकर नगर को सूचनार्थ प्रेषित।


 प्रबन्धक
 दयाराम वर्मा महाविद्यालय
 पीठापुर, कुड़िया चितौना
 कटेहरी, अम्बेडकर नगर